संख्या-10/2022/833/तेइस-7-2021-102(सा0)/2021

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता, बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2022

विषय:- मा0 न्यायालय, अपर जिला जज (कोर्ट सं0-1) मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण, बिजनौर में योजित वाद सं0-252/2006 भारत सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.10.2007 एवं उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा योजित एफ0ए0एफ0ओ0 सं0-589/2009, नवीनतम एफ0ए0एफ0ओ0 संख्या-2647/2019 में मा0 उच्च न्यायालय, द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2019 के क्रम में डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-3471बीजी/245बी(4)/2021-22, दिनांक 05-08-2021 एवं पत्र संख्या-1498/17मुरादाबाद क्षेत्र-वाद-2/21, दिनांक 09-11-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 न्यायालय, अपर जिला जज (कोर्ट सं0-1) मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण, बिजनौर में योजित वाद सं0-252/2006 भारत सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.10.2007 तथा उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा योजित एफ0ए0 एफ0ओ0 सं0-589/2009 नवीनतम एफ0ए0एफ0ओ0 संख्या-2647/2019 में मा0 उच्च न्यायालय, द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2019 के क्रम में धनराशि रू0 2,88,915.00 (रूपये दो लाख अट्ठासी हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) के भुगतान हेतु बी0एम0-15 प्रपत्र पर डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 05-08-2021 एवं दिनांक 09-11-2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, मा0 न्यायालय, अपर जिला जज (कोर्ट सं0-1) मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण, बिजनौर में योजित वाद सं0-252/2006 भारत सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.10.2007 एवं मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 29.10.2007 के विरूद्ध विभाग द्वारा योजित एफ0ए0 एफ0ओ0 सं0-589/2009 नवीनतम एफ0ए0एफ0ओ0 संख्या-2647/2019 में मा0 उच्च न्यायालय, द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2019 के क्रम में धनराशि रू0 2,88,915.00 (रूपये दो लाख अट्ठासी हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) डिक्रीटल मद से आवंटन किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अन्य व्यय-0301-न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य(भारित)'' मद के नामे डाला जायेगा।

4- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/ मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुक्रम में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रथम बार जारी किया जा रहा है। इसकी पुष्टि धनावंटन करने के पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

अभय कुमार

संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2022/833(1)/तेइस–7–2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, बिजनौर।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, बिजनौर ।
6- मुख्य अभियन्ता(मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
8- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रामपुर ।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर।
10- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/2, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।